कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पंत्राकः रास्कूलशिप/जय/बा. शि/संस्था/इच्छित जिला आवंटन/2021-22/6062 दिनांकः 30.09.2022 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांकः 04.11.2022 व राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.9 (1) प्राशि/2011/पार्ट I जयपुर दिनांकः 25.02.11 एवं समसंख्यक पत्र दिनांकः 2.9.14, 02.09.15, 01.08.16 एवं 18.06.2020 के अनुसरण में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त निम्नांकित अध्यापिका को के.जी.बी.वी. में 04 वर्ष या अधिक की आवासीय सेवा सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित इच्छित जिला आवंटन किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है।

क्र. सं.	नाम सुश्री/श्रीमती एवं पद	के.जी.बी.वी. का नाम	प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल पदस्थापन स्थान मय जिला	इच्छित जिला
1.	माया मण्डावरा तृश्रेअ एल-2, सामाजिक-विज्ञान	केजीबीवी तबीजी, पीसांगन, अजमेर	19.09.2018	राउप्रावि पाबूजी की ओरण पायला कला, सिणधरी जिला-बाड़मेर	जयपुर

उक्त आदेश की पालना में उक्त अध्यापिका को सम्बन्धित प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा दिनांकः 01.11.2022 को मध्यान् पश्चात् कार्यमुक्त कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये हैं। आदेश की पालना में अध्यापिका द्वारा उक्त कार्यालय में दिनांकः 02.11.2022 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया गया। तत्पश्चात् संशोधित आदेश की पालना में निदेशक, मा.शि. राजस्थान बीकानेर के शालादर्पण कार्यमुक्ति आदेश दिनांकः 04.11.2022 से कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती मण्डावरा द्वारा इस कार्यालय में दिनांकः 04.11.2022 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यग्रहण किया है। निर्देशानुसार श्रीमती मण्डावरा, तृश्रेअ एल-2 को आज दिनांकः 09.11.2022 को मध्याह्न पश्चात् नाम के सामने अंकित इच्छित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., जयपुर कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., जयपुर इनका पदस्थापन जिले में रिक्त पद पर नियमानुसार कर अवगत करावें।

उक्त अध्यापिका के स्वैच्छा से मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल /जिले में वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विषय अध्यापक विशेष की वरिष्ठता नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम विषय अध्यापक विशेष के नीचे निर्धारित की जावेंगी। इस हेतु संस्था प्रधान/पीईईओ द्वारा कार्मिक के कार्यग्रहण करने से पूर्व सहमति पत्र **आवश्यक रूप से** लिया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

9.11.22

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-2/पैतृक विभाग/2022 **दिनांकः 09/11/2022**

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., जयपुर को पालनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि., बाड़मेर को सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. सम्बन्धित अध्यापिका।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर